

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II--Section 3- Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी ३०, १९७३/माघ १०, १८९४

No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1973 /MAGHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 30th January 1973

G.S.R. 38(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Order, 1972.

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In Schedule I to the Sugar (Price Determination for 1972-73 Production) Order, 1972, under the heading "Mahaashtra", after serial No. 43 and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely:—

"44 Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Lonkheda, Dongargaon Tal, Shahada, Distt Dhulla."

S. V. SAMPATH, Jt. Secy

[No. 2-4/72-SPY.]

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1973

सा० का० नि० 38 (अ)/आव० वस्तु/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) आदेश, 1972 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है ।—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1972 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (1972-73 के उत्पादन के लिए कीमत अवधारण) आदेश, 1972 की अनुसूची II में, "महाराष्ट्र" शीर्षक के अन्तर्गत, क्रम सं० 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"44. श्री सतगुडा नापी परिसर सहकारी शर्करा कारखाना लि०, लोनखेड़ा, डोंगरगांव ताल, शहाहा, जिला धुलिया ।"

[सं० 2-4/72-एस पी आई]

एस० वी० सम्पद, संयुक्त सचिव ।